

Mr. Dinesh Tiwari

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1
संख्या: 80/80-1-2015-600(1)/1981
लखनऊ: दिनांक 16 मार्च, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा-40 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1966 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2015

- संशोधन नाम
- (1)-यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।
(2)-यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- नियम-70 का संशोधन
[धारा-17(1)]
- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1966 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-70 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

70. मण्डी समिति द्वारा लाइसेन्स देना-

(1) मण्डी समिति अपनी उपविधियों के अनुमोदन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मण्डी क्षेत्र में नोटिस द्वारा जो प्रचारित की जायेगी उसकी प्रतिलिपियों को हिन्दी में बटवाकर तथा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर भी ऐसे नोटिस की प्रतिलिपियों छिपकाकर और मण्डी स्थानों

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

70. मण्डी समिति द्वारा लाइसेन्स देना-

(1) मण्डी समिति अपनी उपविधियों के अनुमोदन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मण्डी क्षेत्र में नोटिस द्वारा जो प्रचारित की जायेगी उसकी प्रतिलिपियों को हिन्दी में बटवाकर तथा क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर भी ऐसे नोटिस की प्रतिलिपियों छिपकाकर और मण्डी

में लाउडस्पीकर से अथवा डुग्गी पिटवाकर घोषणा करके समस्त स्थानीय निकायों तथा अन्य व्यक्तियों को निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री कय, संग्रह, तौलन या प्रक्रिया करने के लिए किसी स्थान की व्यवस्था करना स्थापित करना अथवा बनाये रखना चाहते हों और इसी प्रकार मण्डी स्थलों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को सम्भालने या उनका व्यापार करने वाले समस्त व्यापारियों, कमीशन अधिकर्ताओं, आइतियों, भण्डागारिकों, तौलकों, मापकों, पल्लेदारों और अन्य व्यक्तियों को अधिनियम की धारा-9 की उपधारा(1) या उपधारा (2) के अधीन जैसी भी दशा हो लाइसेन्स के लिए उक्त नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर ऐसे प्रपत्र में जो मण्डी समिति अपनी उपविधियों में निर्धारित करें, प्रार्थना पत्र देने को कहेंगी।

स्थानों में लाउडस्पीकर से अथवा डुग्गी पिटवाकर घोषणा करके उन समस्त स्थानीय निकायों तथा अन्य व्यक्तियों को बुलायेगी जो, निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की बिक्री, कय, संग्रह, तौलन या प्रक्रिया करने के लिए किसी स्थान की व्यवस्था करना, स्थापित करना अथवा बनाये रखना चाहते हों और इसी प्रकार मण्डी स्थलों में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन को सम्भालने या उनका व्यापार करने वाले समस्त व्यापारियों, कमीशन अधिकर्ताओं, आइतियों, भण्डागारिकों, तौलकों, मापकों, पल्लेदारों और अन्य व्यक्तियों को अधिनियम की धारा-9 की उपधारा(1) या उपधारा (2) के अधीन जैसी भी दशा हो लाइसेन्स के लिए उक्त नोटिस के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन के भीतर ऐसे प्रपत्र में जो मण्डी समिति अपनी उपविधियों में निर्धारित करें, प्रार्थना पत्र देने को कहेंगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम के उपबन्ध किसी उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले, फोसे, कपड़े या प्रक्रिया किये गये कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति पर लागू न होंगे जो किसी कृषि उत्पादन मण्डी को अपने घरेलू उपयोग के लिए कय अथवा संग्रह करे।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम के उपबन्ध किसी उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले, फोसे, कपड़े या प्रक्रिया किये गये कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति पर लागू न होंगे जो किसी कृषि उत्पादन मण्डी को अपने घरेलू उपयोग के लिए कय अथवा संग्रह करे।

(2) समिति ऐसे प्रपत्रों में जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में निर्दिष्ट किये जाएं, लाइसेन्स जारी करेगी और लाइसेन्स की शर्तें तथा प्रतिबन्ध समिति द्वारा अपनी उपविधियों में निर्दिष्ट की जायेगी और समिति द्वारा जारी किये गये लाइसेन्सों पर भी उन्हें मुद्रित किया जायेगा।

(2) समिति ऐसे प्रपत्रों में जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में निर्दिष्ट किये जाएं, लाइसेन्स जारी करेगी और लाइसेन्स की शर्तें तथा प्रतिबन्ध समिति द्वारा अपनी उपविधियों में निर्दिष्ट की जायेगी और समिति द्वारा जारी किये गये लाइसेन्सों पर भी उन्हें मुद्रित किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो उपनियम(1) के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करना चाहता हो वह मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में तदर्थ निर्दिष्ट प्रपत्र में इसके लिए मण्डी समिति को नियम 67 के अधीन नियत लाइसेन्स

(3) कोई व्यक्ति जो उपनियम(1) के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करना चाहता हो वह मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में तदर्थ निर्दिष्ट प्रपत्र में इसके लिए मण्डी समिति को नियम 67 के अधीन नियत लाइसेन्स शुल्क की धनराशि सहित एक

शुल्क की धनराशि सहित एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र देगा।
देगा।

(4) (1)नियम 67 के अधीन नियत शुल्क की धनराशि के साथ ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मण्डी समिति उसे प्रार्थित जारी कर सकती है यदि,

(क) उसका यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी ऋण दिवालिया नहीं है।

(ख) उसका यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी उपयुक्त व्यक्ति है और उसे लाइसेंस दिया जा सकता है-

प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड(क) के उपबन्ध तौलक, मापक, पल्लेदार, ट्रक चालक एवं ठेला पर लागू नहीं होंगे।

(4) (1)नियम 67 के अधीन नियत शुल्क की धनराशि के साथ ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मण्डी समिति उसे प्रार्थित लाइसेंस जारी कर सकती है यदि,

(क) उसका यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी ऋण दिवालिया नहीं है।

(ख) उसका यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी उपयुक्त व्यक्ति है और उसे लाइसेंस दिया जा सकता है-

प्रतिबन्ध यह है कि उपखण्ड(क) के उपबन्ध तौलक, मापक, पल्लेदार, ट्रक चालक एवं ठेला वालों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र, नियमों एवं उपविधियों द्वारा यथाविहित फीस एवं संलग्नकों सहित प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर समिति ऐसे लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में लिखित रूप में सकारण आदेश द्वारा निर्णय लेगी और उसके संबंध में आदेश को संसूचित करेगी।

नियम-137 का
संशोधन
[धारा-17(क)]

2-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-137 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा जायेगा:-

स्तम्भ-1
विद्यमान नियम

137-नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को मण्डी शुल्क से छूट प्रदान करना या उसमें कमी करना (धारा 17-क(1)(क)-

(1) मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी के लिए आवेदन राज्य सरकार को किया जाएगा और उसे निदेशक को भेजा जाएगा। निदेशक संबंधित

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

137-नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी (धारा 17क(1)(क)-

(1)ऐसी नई प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत पाँच करोड़ या उससे अधिक हो, मण्डी शुल्क से छूट

जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगेगा। जिला मजिस्ट्रेट संबंधित राहसीलादार और समिति से अभ्युक्ति प्राप्त करेगा और उन्हें अपनी शिफारिशों के साथ निदेशक को अग्रसारित करेगा। निदेशक अपनी शिफारिशों सहित आवेदन-पत्र राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

(2) उपधारा(1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार उस पर अन्तिम विनिश्चय करेगी और यदि वह मण्डी शुल्क के दर से छूट प्रदान करने या कमी करने का विनिश्चय करती है तो वह उसे मण्डी शुल्क की दर में छूट प्रदान करने या कमी करने की अवधि और तदनिमित्त शर्तों और निर्बंधन को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करेगी।

स्पष्टीकरण- धारा 17-क और इस नियम के प्राधान्यों के लिए नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाई का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी(संशोधन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-17 सन् 2005) को गजट में प्रकाशित होने के दिनांक 5 अगस्त, 2005 को या उसके पश्चात् स्थापित इकाई से है।

या उसमें कमी के लिए विहित प्रपत्र सोलह में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों और संलग्नों तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति के प्रक्ष से रु० 20,000/-के बैंक ड्राफ्ट के साथ मण्डलायुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मण्डलायुक्त उक्त आवेदन पत्र को सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को आख्या हेतु अग्रसारित कर देगा।

(2) उपनियम(1) के अधीन प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण करने एवं धारा-17क की उपधारा(1) के खण्ड(क) के अन्तर्गत संयंत्र एवं मशीनरी का भौतिक सत्यापन कराकर अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि संयंत्र एवं मशीनरी की लागत पाँच करोड़ या उससे अधिक है, जिलाधिकारी द्वारा अपनी आख्या पन्द्रह दिन के अन्दर मण्डलायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

(3) जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या का परीक्षण निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जायेगा:-

(1)	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
(2)	जिलाधिकारी	सदस्य
(3)	निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य-सचिव
(4)	अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग	सदस्य
(5)	सम्बन्धित मण्डी समिति	सदस्य

(4) उक्त समिति तीस दिनों के भीतर उपनियम-(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या एवं इकाई द्वारा

प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करेगी और मण्डी शुल्क(विकास सेस को छोड़कर) से छूट प्रदान करने या उसकी दर में कमी करने की संस्तुति करेगी, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी अथवा प्रार्थना पत्र को लिखित रूप में सकारण अस्वीकृत करेगी।

(5) उपनियम(4) के अधीन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् मण्डलायुक्त द्वारा जिन फर्मों को मण्डी शुल्क में छूट अथवा दर में कमी की जानी है(विकास सेस को छोड़कर), के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा। उक्त प्रस्ताव के प्राप्त होने पर राज्य सरकार अन्तिम निर्णय लेगी और उसे ऐसे शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ गजट में अधिसूचित करेगी जैसा वह उचित समझे।

स्पष्टीकरण धारा-17(क) और इस नियम के प्रयोजन के लिए नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाई का सात्पर्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-27 सन् 2013) के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को या उसके पश्चात् स्थापित इकाई से है।

अमित मोहन प्रसाद

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/80-1-2015, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक 16 मार्च, 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की 250 प्रतियाँ शासन को भेजने का कष्ट करें।
- (2) निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
- (3) सभरत मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) सभरत सभापति कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

2
11.3.2015

(अभय कुमार)
अनु सचिव

प्रपत्र-10

नए स्थापित कृषि प्रसारकण इकाई के लिए मण्डी शुल्क से छूट अथवा दर में कमी हेतु आवेदन-पत्र
(नियम-137 देखें)

सेवा में

मण्डलाध्यक्ष,

..... कारखाना।

माह/वर्ष

आवेदक का पता/संस्था	गाँव
फ़ोन नम्बर	जिला
दिनांक	

कृषि उत्पादन मण्डी समिति..... जिला..... के मण्डी क्षेत्रांतर्गत नए स्थापित कृषि प्रसारकण इकाई पर मण्डी शुल्क से छूट अथवा दर में कमी हेतु विवरण निम्नवत् है:-

1	आवेदक का नाम	
2	आवेदक का पता (पहचान पत्र सहित)	
3	आवेदक की स्थिति जोखा संख्या(पिन) का विवरण (प्रमाणित प्रति को साथ)	
4	आवेदक की सहायतात्मक स्थिति	
	(i) प्रोपराइटरशिप	
	(ii) भागीदारी	
	(iii) कसानी	
	(iv) शैथिलिक	
	(v) अन्य	
5	(क) क्या आवेदक अथवा जहाँ आवेदक की फर्म है को एकमात्र रूप से अथवा भागीदारी में राज्य की किसी निश्चित मण्डी समिति से लाइसेंस प्राप्त है। (ख) क्या सके लाइसेंस गिरोहित अथवा निरस्त हुआ है ? यदि ऐसा है, तो कब, किस अवधि के लिए एवं किन कारणों से	
6	नाम अथवा शैली जिसके अन्तर्गत प्रसारकण इकाई/फर्म कार्य करेगी	
7	सम्बन्धित मण्डी समिति का नाम	
8	जिला	
9	निश्चित कृषि उत्पाद का नाम, जिसके अन्तर्गत माल के रूप में प्रसारकण किया जाएगा	
10	प्रसारकृती उत्पाद/उत्पादों का नाम	
11	अन्य विभाग अथवा विभागों से प्रक्रिया इकाई हेतु प्राप्त प्रतीकपत्र का विवरण (प्रत्येक संलग्न करें)	
12	इकाई/फर्म कब स्थापित हुई। स्थापित का विवरण (प्रत्येक संलग्न करें)	

13	भण्डारी खासियत द्वारा निगत लाइसेन्स की स्थिति, लाइसेन्स पर्यटन, दिनांक एवं वैधता(प्रलेख/ वस्तुनिष्ठ प्रमाण करें)
14	भण्डारी दुरुस्त एवं अवश्य की स्थिति
15	भू-स्वामियों का प्रलेख, जिस पर प्रसस्करण इकाई स्थापित है।
16	प्रसस्करण इकाई से स्थापित संचय और मशीनरी का विवरण

क्रमांक	संचय एवं मशीनरी का नाम	तथ्य का विवरण और ऑडिट का विवरण (कोयीनाफ के द्वारा)	संचय के विवरण का नाम	निगम का पता	कम की स्थिति	संचय की सामग्री (कम रसीदों सहित)	बकाई की अंमत का नोट	इकाई और इतिहास के भुगतान की प्रमाण	भुगतान किये गये करों का विवरण	यदि संचय आयातित है, तो करस्थ विभाग का कारण पत्र एवं अन्य सम्बन्धित प्रलेख	अनुमति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
	शेष										

17	प्रसस्करण इकाई की जाहदगी
18	संचय, मशीनरी और भवन के छायाचित्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सहित
19	प्रसस्करण इकाई की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का अनुमान/अधिकतम/औसत विवरण
20	सन्धि लेखाकार(सीओए) की आणखी
21	निर्दिष्ट कृषि उत्पाद की छठ्ठे साल के रूप में आवश्यकता और बण्डारी का नाम, जहाँ से कच्चा माल कया किया जायेगा
22	फरवरी-16 से दिनांक भया विवरण सत्या है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा कृषि उत्पादन बण्डारी अधिनियम, 1984, तदनुसार बनायी गयी नियमावली एवं उपविधियों का पालन किये जाने के आशय का बोलरी द्वारा प्रस्तुत सपथ पत्र
23	प्रसस्करण इकाई भुगतान का विवरण
24	अन्य सूचना/विवरण

विवरण.....

आवेदक के हस्ताक्षर

[Handwritten Signature]